



महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार  
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना  
महिलाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण



प्रशिक्षण हेतु वरीयता क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

विकल्प आई.टी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं. आई.टी. ज्ञान केन्द्र का नाम  
1. ....  
2. ....

प्रशिक्षणार्थी का नाम: प्रथम नाम..... मध्यम नाम..... अन्तिम नाम.....

पिता का नाम:..... माता का नाम:.....

जन्म तिथि :(दिन/महिना/वर्ष) : .....

वैवाहिक स्थिति: अविवाहित विवाहित

तलाकशुदा विधवा परित्यक्ता

मोबाइल नंबर:..... ई-मेल आई.डी.:.....

आधार कार्ड नम्बर..... <sup>अन आधार/</sup> मांशाहि कार्ड नं.....

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्ला:..... शहर/कस्बा/गाँव:.....

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम.....

तहसील :..... जिला:..... पिन कोड:.....

श्रेणी : (सम्बन्धित श्रेणी पर टिक करें एवं विवरण डालें)

सामान्य

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति: जनजाति उपयोगना (टीएसपी) : तहसील:..... जिला:.....

गैर-जनजाति उपयोगना (नॉन-टीएसपी)(माडा अथवा बिखरी)

सहरिया

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

जाति :..... धर्म :  हिन्दू  मुस्लिम  सिक्ख  इसाई  जैन  पारसी  अन्य

महिला श्रेणी :  आंगनबाडी कार्यकर्ता  साथिन  हिंसा से पीडित महिला

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	प्रतिशत	पास करने का महिना एवं वर्ष
दसवी (आरएस-सीआईटी हेतु अनिवार्य)			
उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र बाहरवी/डिप्लोमा/ डिग्री/ स्नातकोत्तर			

• शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधी अनिवार्य प्रमाण पत्र—

1. RS-CIT कोर्स हेतु 10वी. कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका ।

2. आयु सत्यापन हेतु दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/जन्म प्रमाण पत्र

3. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र

• विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएँ—

1. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।

2. हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआई आर की प्रति /धरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धरेलू घटना रिपोर्ट / महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।

3. साथिन /आंगनबाडी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज लगावें। आंगनबाडी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका लगाएँ।

4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण-पत्र।

घोषणा :

1. मैं उद्घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है

2. मैंने इस योजना के अन्तर्गत किसी अन्य आईटी ज्ञान केन्द्र पर आवेदन नहीं किया है।

3. मैं पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे इस या इस प्रकार के कोर्स या योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हुई हूँ।

स्थान :.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर



महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार  
इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना  
महिलाओं को निःशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण



प्रशिक्षण हेतु वरीयता क्रम में आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का विवरण :

विकल्प आई.टी. ज्ञान केन्द्र का कोड नं. आई.टी. ज्ञान केन्द्र का नाम  
1. ....  
2. ....

आवेदक का विवरण

प्रथम नाम..... मध्यम नाम..... अन्तिम नाम..... (हिन्दी में)  
..... (अंग्रेजी में)

पिता का नाम:..... माता का नाम:.....

जन्म तिथि :दिन/महीना/वर्ष :.....

वैवाहिक स्थिति:  अविवाहित  विवाहित

महिला श्रेणी  तलाकशुदा  विधवा  परित्यक्ता  हिंसा से पीड़ित

मोबाइल नंबर:..... ई-मेल आई.डी.:.....

1. आधार कार्ड नम्बर..... 2. जन आधार/ भामाशाह कार्ड नम्बर.....

आवेदक का पता

स्थायी पता : मकान न./गली/मौहल्ला:..... शहर/करबा/गाँव:.....

ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम.....

तहसील :..... जिला:..... पिन कोड:.....

आवेदक की श्रेणी

सामान्य  अनुसूचित जाति  अनुसूचित जनजाति:  सहरिया

जनजाति उपयोगना (टीएसपी) : तहसील:..... जिला:.....

गैर-जनजाति उपयोगना (नॉन-टीएसपी) (माडा अथवा बिखरी)

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

विशेष पिछड़ा वर्ग (नॉन किमी लेयर)

जाति :..... धर्म :  हिन्दू  मुस्लिम  सिक्ख  इसाई  जैन  पारसी  अन्य

शैक्षणिक योग्यता :

योग्यता	बोर्ड/यूनिवर्सिटी	रोल नं.	प्रतिशत	पास करने का महीना एवं वर्ष
10 वीं				
12 वीं				
उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र डिप्लोमा/ डिग्री/ स्नातकोत्तर				

संलग्नक:-

1. आयु सत्यापन हेतु दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/जन्म प्रमाण पत्र
2. 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका
3. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
4. हिंसा से पीड़ित महिला के प्रकरण में एफआईआर की प्रति /घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत रिपोर्ट / महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।
5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण-पत्र।

घोषणा :

1. मैं उद्घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं
2. मैंने RS-CIT/RS-CFA पाठ्यक्रम में से एक पाठ्यक्रम के लिए ही आवेदन किया है।
3. मैं पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के अन्तर्गत इस प्रकार के कम्प्यूटर कोर्स के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हुई हूँ।

स्थान :.....

दिनांक:.....



हस्ताक्षर